न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 02/2017
प्रविष्टि दिनांक 30.08.2017

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1– श्री अर्जुन लाल गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार खजूरिया ग्राम पंचायत धांस तहसील व जिला टोंक राज0

2.–जनरल मैनेजर कय विकय सहकारी समिति टोंक

3– बाबूलाल जाट पुत्र सीताराम जाट निवासी ग्राम पंचायत लुहारा तहसील निवाई ट्रक ड्राईवर ट्रक संख्या आर.जे. 26 जी.ए. 0574

.............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 राजसात करने जब्तशुद्वा गेहूँ 5140 किलोग्राम मय बारदाना एंव ट्रक संख्या आर.जे. 26 जी.ए. 0574

उपस्थितिः–

1– प्रर्वतन निरीक्षक पेरोकार सरकार प्रार्थी

2– श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

3– श्री मानसिंह गुर्जर अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3

<u>निर्णय</u> **दिनांक 24.01.2018**

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 25.08.2017 को ग्राम खजूरिया के उचित मूल्य दुकान पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा पहुँचाये जाने वाले गेहूँ की रास्ते मे कालाबाजारी करने के उदेश्य से लेकर जाने की शिकायत मिलने पर संयुक्त जांच दल मौके पर पहुंचा। बाद जांच ग्राम खजूरिया से 1 किलो मीटर की दूरी पर ग्राम बमोर की तरफ ट्रक संख्या आर.जे. 26 जी.ए. 0574 मे भारतीय खाद्य निगम के छाप वाले 100 कट्टे पाये गये। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार अर्जुनलाल गुर्जर राशन सामग्री का वितरण करता है,परन्तु नियमित रूप से वितरण नही करता हैं। दिनांक 24.08.2017 को 80 कट्टे ग्राम खजूरिया की दुकान पर उतारा तथा 100 कट्टे गेहूँ को कालाबाजारी करने हेतु ले जा रहा था तथा राशन डीलर हमें खजूरिया से ही राशन सामग्री का वितरण करता था लेकिन 4–5 माह से ग्राम उंटीटाना से राशन सामग्री का वितरण कर रहा है। श्री गुर्जर ने बताया की खजूरिया,खलीलपुरा पापडा के उपभौक्ताओ को वितरण करता था लेकिन 5–6 माह से ग्राम उंटीटाना के उपभौक्ताओ को ग्राम उंटीटाना मे ही वितरण कर रहा हूँ। श्री गुर्जर ने प्राधिकार पत्र, आदेश प्रमाण पत्र व नक्शा प्रस्तुत किया गया जिन पर प्राधिकृत गोदाम अशोक कुमार गुर्जर का मकान अंकित है। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार श्री अर्जुनलाल गुर्जर खजूरिया द्वारा राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार की शर्त सं0 1 का उल्लघंन कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत दण्डनीय अपराध किया है।

अतः जब्त शुद्वा 5140 क्वि0 गेहूँ मय बारदाना व ट्रक संख्या आर.जे. 26 जी.ए. 0574 को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी। पेरोकार सरकार व अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश किया कि अप्रार्थी को कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा ग्राम खजूरिया व उंटीटाना मे राशन सामग्री वितरण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। दिनांक 24.08.2017 को भारतीय खाद्य निगम निवाई द्वारा 180 कट्टे गेहूँ उक्त दोनो गांवो के उपभौक्ताओ को वितरण करने भिजवाया था। 80 कट्टे ग्राम खजूरिया मे उतारे गये तथा 100 कट्टे गेहूँ ग्राम उंटीटाना मे उतारने के लिए रवाना हुआ तथा ग्राम बमोर के पास ग्राम खजूरिया के ग्रामवासी राशन डीलर से रंजिश रखने के कारण ट्रक को रूकवा लिया। पुलिस थाना सदर व जिला रसद अधिकारी को दूरभाष पर सूचना देने पर जांच दल द्वारा उक्त गेहूँ व ट्रक को जब्त किया है। प्रार्थी द्वारा उक्त गेहूँ को कालाबाजारी करने हेतु नही ले जा रहा था। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब पेश किया कि कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा आदेश दिये जाने के उपरान्त मुख्य व्यवस्थापक टोंक क्रय–विक्रय सहकारी समिति लि0 टोंक द्वारा ग्राम खजूरिया व उंटीटाना के उपभौक्ताओ को वितरण हेतु माह मार्च 2017 से अगस्त 2017 का माल उपलब्ध करवाया गया था।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाब पेश किया कि दिनांक 24.08.2017 को ट्रक संख्या आर.जे. 26 जी.ए. 0574 मे 180 कट्टे गेहूँ ट्रक मे लदाये गये। जिनमे से 80 कट्टे खजूरिया मे उतार दिये तथा 100 कट्टे ग्राम उंटीटाना मे उतारने हेतु रवाना हुआ लेकिन रास्ते मे ग्रामवासियो द्वारा ट्रक को रूकवा लिया और हंगामा खडा कर दिया। गेहूँ से छेडछाड व कालाबाजारी नही की है। इसमे अप्रार्थी को कोई दोष नही है। अतः जब्त शुद्वा ट्रक को छोडा जावे।

हमने पेरोकार सरकार एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण के कथन पर मनन किया व पत्रावली का अध्ययन किया। भारतीय खाद्य निगम निवाई के गेट पास पर्ची दिनांक 24.08.2017 से जाहिर है कि ट्रक संख्या आर.जे. 26 जी.ए. 0574 द्वारा भारतीय खाद्य निगम से 180 कट्टे गेहूँ उठाये गये है। दिनांक 24.08.2017 को ग्राम खजूरिया के उचित मूल्य दुकान पर पहुँचाये जाने वाले गेहूँ को रास्ते मे कालाबाजारी करने के उदेश्य से लेकर जाने की शिकायत मिलने पर दोराने जांच ग्राम खजूरिया से 1 किलो मीटर दूरी पर ग्राम बमोर की तरफ ट्रक संख्या आर.जे. 26 जी.ए. 0574 मे भारतीय खाद्य निगम के छाप वाले 100 कट्टे पाये गये। दिनांक 24.08.2017 को 80 कट्टे ग्राम खजूरिया की दुकान पर उतारे गये तथा 100 कट्टे गेहूँ ग्राम उंटीटाना मे उचित मूल्य दुकान पर वितरण हेतु ले जा रहे थे। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने दोराने बहस कथन किया कि कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक के निर्देशानुसार श्री गुर्जर द्वारा ग्राम खजूरिया,खलीलपुरा पापडा के उपभौक्ताओ को 5–6 माह से ग्राम उंटीटाना के उपभौक्ताओ को ग्राम उंटीटाना मे वितरण कर रहा हैं। इस तथ्य को दोराने बहस पेरोकार सरकार ने भी स्वीकार किया है।

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राज.)

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नकल आदेश दिनांक 08.01.2018 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक द्वारा पुलिस थाना सदर टोंक द्वारा प्रस्तुत एफ.आर. को स्वीकार किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि 100 कट्टे गेहूँ कालाबाजारी की नियत से न लेजाकर ग्राम उंटीटाना के उपभौक्ताओ को वितरण करने हेतु ले जा रहा था।अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनाक 24.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक